FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Confiscation Appeal Case No.- 37 /2025]

Sikandar Yadav ....Appellant

Versus

The State of Bihar……..........................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.2.2026	**आदेश** यह अधिहरण अपील वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा अधिहरण (उर्वरक) वाद सं0-03/2022 में दिनांक-27.9.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के वाहन (ट्रैक्टर नं.-BR-50GA-1732) को अवैध यूरिया उर्वरक कहीं अन्यत्र ले जाने के क्रम में जब्त किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा कृषि कार्य हेतु किस्त पर आयशर ट्रैक्टर की खरीद की गयी। वे एक अशिक्षित व्यक्ति है एवं सरकारी नियम कानून की जानकारी नहीं है। उनका घर अत्यंत पिछड़े इलाके में है। इसी क्रम में उनके द्वारा अपना ट्रैक्टर अपने ग्रामीण विजय यादव, पिता-अनमोल यादव, सा.-मैरचा, पो.-बकौर, थाना-सुपौल को भाड़े पर खेत की जुताई एवं अन्य कार्य हेतु दिया गया था। ताकि उक्त भाड़े से वे किस्त के राशि का भुगतान कर सके। जप्ती के समय वाहन विजय यादव के अधीन था। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त आयशर ट्रैक्टर पर किसी प्रकार का Fine नहीं किया गया। अपितु नीलाम करने का आदेश दिया गया है। किन्तु इससे संबंधित ओ.पी. डरहार में FIR Case No-23/2022 U/s 420 एवं 120B IPC दर्ज एवं लंबित है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा न्यायहित में उक्त ट्रैक्टर को Release करने का अनुरोध किया गया है। सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का कहना है कि अपीलार्थी का दावा गलत है। तथा कानूनी प्रावधान एवं साक्ष्यों के आधार पर समाहर्त्ता, सहरसा का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। उभय पक्ष के अभिकथन तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षोपरान्त स्पष्ट है हो रहा है कि प्रश्नगत यूरिया के जब्ती के समय वाहन चालक फरार पाये गये। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अभिलेख के अनुसार इस मामले में अवैध यूरिया के कालाबाजारी में वादी की संलिप्तता अप्रमाणित नहीं हो रहा है। निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	